

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
नेशनल कन्या इंटर कालेज
खानपुर, हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध अशा0/19334-38/2005-06

दिनांक 21.1.2006

विषय- राजाज्ञा संख्या- 1187/xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005
के प्रस्तर-2 के अनुपालन में संस्था में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर
कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके पत्रांक-ने0क0/समा0/254/2005-06 दिनांक 26.12.2005 के द्वारा संस्था नेशनल कन्या इंटर कालेज खानपुर, हरिद्वार में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सृजित पदों के सापेक्ष समायोजन करने हेतु प्रस्ताव वांछित पत्रजातों सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है । संस्था नेशनल कन्या इंटर कालेज खानपुर, हरिद्वार को राजाज्ञा संख्या-751/xxiv-2/2005 दिनांक 24 मई 2005 के " अन्य विद्यालय जो अनुदान सूची में लिये गये हैं " के क्रम संख्या-5 के अनुसार अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राजाज्ञा संख्या- 1187/xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के द्वारा, उक्त संस्था में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक, दफतरी एवं परिचारकों के पदों को सृजित किया गया है तथा प्रस्तर-2 में उल्लेख किया गया है कि " ऐसे कार्यरत अर्ह कार्मिक जो निर्धारित पद हेतु समस्त वांछित योग्यता रखते हों एवं जो विधिवत/नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित हो, का समायोजन सृजित पदों के सापेक्ष किया जाय । ऐसे अर्ह कार्मिक जो नियमित एवं विधिवत रूप से चयनित न हो, के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय " ।

उपरोक्त राजाज्ञा संख्या- 1187/xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के अनुपालन में, प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 एवं प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुत पत्रजातों के आधार पर संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समायोजन प्रस्ताव में से निम्नांकित का अनुमोदन सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नविवरण के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि प्रबन्ध समिति द्वारा भविष्य में संस्था में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों के अधीन की जायेगी । निम्नांकित पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।

निम्नांकित शिक्षकों/कर्मचारियों के संबंध में यदि भविष्य में कोई तथ्य छिपाया गया पाया जाता है अथवा इस पत्र के निगमन के पश्चात् प्रकाश में आता है तो यह आदेश निरस्त भी किया जा सकता है ।

अतः अनुमोदित शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी का नाम	पदनाम विषय सहित	अन्य विवरण
1	श्री सुरेश चन्द्र कवटियाल	प्रवक्ता-संस्कृत	6500-10500
2	श्री ओम सिंह	प्रवक्ता-हिन्दी	6500-10500
3	श्रीमती नीतू पवार	प्रवक्ता-रसायन	6500-10500
4	कु० सुषमा नयाल	प्रवक्ता-जीव विज्ञान	6500-10500
5	श्री अश्वनी कुमार	प्रवक्ता-समाजशास्त्र	6500-10500
6	श्री बलराम गुप्ता	प्रवक्ता-गणित	6500-10500
7	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	प्रवक्ता-अर्थशास्त्र	6500-10500
8	श्री अजय कौशिक	प्रवक्ता-वाणिज्य	6500-10500
9	श्री मुकेश कुमार	प्रवक्ता-डाइंग	6500-10500
10	कु० मीनू यादव	प्रवक्ता-गृह विज्ञान	6500-10500
11	श्रीमती सविता धारीवाल	सहायक अध्यापक एल० टी० हिन्दी	5500-9000
12	श्री संजय गुप्ता	सहायक अध्यापक एल० टी० विज्ञान/गणित	5500-9000
13	श्री दिनेश सिंह	सहायक अध्यापक एल० टी० विज्ञान/गणित	5500-9000
14	श्री अमित कुमार	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590
15	श्रीमती सुन्दर	परिचारिका	2550-3200

भवदीय

(डी० पी० थपलियाल)

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कृते जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार ।

पृ० सं०-प्रबन्ध अशा०/१९३३५-३८ / 2005-06 दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि, निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ।
4. प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इं० का० खानपुर, हरिद्वार ।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कृते जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

निम्नांकित शिक्षकों/कर्मचारियों के संबंध में यदि भविष्य में कोई तथ्य छिपाया गया पाया जाता है अथवा इस पत्र के निगमन के पश्चात् प्रकाश में आता है तो यह आदेश निरस्त भी किया जा सकता है ।

अतः अनुमोदित शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

क०सं०	शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का नाम	पदनाम सहित	विषय	अन्य विवरण
2	श्री ओमपाल सिंह	दफतरी		2610-3540
3	श्री बृजपाल	परिचारक		2550-3200

भवदीय,

(डी०पी०थपलियाल)

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कृते जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार ।

पृ०सं०-प्रबंध अशा०/

/2005-06 दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि, निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक विधालयी शिक्षा उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ।
4. प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इं०का०खानपुर, हरिद्वार ।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कृते जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य,
नेशनल कन्या इन्टर कालेज
खानपुर, हरिद्वार ।

पत्रांक-प्रबंध अशा0/अा015-19 /2005-06 दिनांक 17. 2. 2006

विषय- राजाज्ञा संख्या- 1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005
के प्रस्तर-2 के अनुपालन में संस्था में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर
कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके पत्रांक-ने0क0/समा0/254/2005 -06 दिनांक 26.12.2005 के द्वारा संस्था नेशनल कन्या इन्टर कालेज खानपुर, हरिद्वार में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सृजित पदों के सापेक्ष समायोजन करने हेतु प्रस्ताव वांछित पत्रजातों सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है । संस्था नेशनल कन्या इन्टर कालेज खानपुर, हरिद्वार को राजाज्ञा संख्या-751/Xxiv-2/2005 दिनांक 24मई 2005 के " अन्य विद्यालय जो अनुदान सूची में लिये गये हैं" के कम संख्या-5 के अनुसार अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राजाज्ञा संख्या-1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के द्वारा, उक्त संस्था में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ लिपिक,सहायक लिपिक,दफतरी एवं परिचारकों के पदों को सृजित किया गया है तथा प्रस्तर-2 में उल्लेख किया गया है कि " ऐसे कार्यरत अर्ह कार्मिक जो निर्धारित पद हेतु समस्त वांछित योग्यता रखते हों एवं जो विधिवत/नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित हो, का समायोजन सृजित पदों के सापेक्ष किया जाय । ऐसे अर्ह कार्मिक जो नियमित एवं विधिवत रूप से चयनित न हो, के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय " ।

उपर्युक्त राजाज्ञा संख्या- 1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के अनुपालन में, प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 एवं प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुत पत्रजातों के आधार पर संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समायोजन प्रस्ताव में से निम्नांकित का अनुमोदन पद सृजन की तिथि तक के लिए , सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नविवरण के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि प्रबन्ध समिति द्वारा भविष्य में संस्था में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों के अधीन की जायेगी। निम्नांकित पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन,मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।

निम्नांकित शिक्षकों/कर्मचारियों के संग्रह में यदि भविष्य में कोई तथ्य भिन्नता गया पाया जाता है अथवा इस पत्र के निर्गमन के पश्चात् प्रकाश में आता है तो यह आदेश निरस्त भी किया जा सकता है ।
अतः अनुमोदित शिक्षकों/कर्मचारियों के समन्वय में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का नाम	पदनाम विषय सहित	अन्य विवरण
1	श्री सरीन कुमार	प्रवक्ता-भौतिक विज्ञान	6500-10500
2	श्री रविन्द कुमार	प्रवक्ता-अंग्रेजी	6500-10500
3	श्री ओमप्रकाश	सहायकअध्यापक एल0टी0 अंग्रेजी	5500-9000
4	श्रीमती पुष्पा रानी	स0अ0एल0टी0इंग्लिश	5500-9000
5	कु०अंजुली गुप्ता	स0अ0गृह विज्ञान	5500-9000
6	श्रीमती बबीता देवी	स0अ0सामान्य	5500-9000
7	श्री विजयपाल	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590
8	श्री अशोक कुमार	परिचारक	2550-4590

भवदीय,

(डी0पी0अपलिथाल)
अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कूते जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

पृ०सं०-प्रबंध अशा० / / 2005-06 दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि, निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ।
4. प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इं०का०खानपुर, हरिद्वार ।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा०)/
कूते जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

प्रपत्रक,

जिला शिक्षा अधिका
रिहार ।
रोवा में,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
नेशनल कन्या इन्टर कालेज
खानपुर, हरिहार ।

पत्रांक-प्रबंध अशा10/20145-49/2005-06 दिनांक 2/2/2006

विषय- राजाज्ञा संख्या- 1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के प्रस्तर-2 के अनुपालन में संस्था में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्माचारियों के रागायोजन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्वन्ध में आपके पत्रांक-नै0क0/समा0/254/2005 -06 दिनांक 26.12.2005 के द्वारा संस्था नेशनल कन्या इन्टर कालेज खानपुर, हरिहार में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्माचारियों को सृजित पदों के सापेक्ष समायोजन करने हेतु प्रस्ताव वांछित पत्रजातों सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है । संस्था नेशनल कन्या इन्टर कालेज खानपुर, हरिहार को राजाज्ञा संख्या-751/Xxiv-2/2005 दिनांक 24मई 2005 के " अन्य विद्यालय जो अनुदान सूची में लिये गये हैं" के कम संख्या-5 के अनुसार अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राजाज्ञा संख्या- 1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के द्वारा, उक्त संस्था में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक, दफ्तरी एवं परिचारकों के पदों को सृजित किया गया है तथा प्रस्तर-2 में उल्लेख किया गया है कि " ऐसे कार्यरत अर्ह कर्मिक जो निर्धारित पद हेतु समस्त वांछित योग्यता रखते हों एवं जो विधिवत/नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित हो, का समायोजन सृजित पदों के सापेक्ष किया जाय । ऐसे अर्ह कर्मिक जो नियमित एवं विधिवत रूप से चयनित न हो, के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय " ।

उपर्युक्त राजाज्ञा संख्या- 1187/Xxiv-2/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के अनुपालन में, प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 एवं प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुत पत्रजातों के आधार पर संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्माचारियों के समायोजन प्रस्ताव में से निम्नांकित का अनुमोदन पद सृजन की तिथि तक के लिए , सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नविवरण के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि प्रबन्ध समिति द्वारा भविष्य में संस्था में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से आरक्षण सम्वन्धी प्राविधानों के अधीन की जायेगी। निम्नांकित पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन,महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।

सिंह

प्रेषक,

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढवाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक/माध्यमिक/ ५१२९-३१ /2005-06/ दिनांक 10, फरवरी, 2006

विषय:-

श्री घनश्याम गुप्ता प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर, (हरिद्वार) के
समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-अशा0/19034-36/2005-06/ दिनांक 19-01-2006 का
अवलोकन करें, जिसके द्वारा संस्था नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर (हरिद्वार) में प्रधानाचार्य पद पर
कार्यरत श्री घनश्याम गुप्ता के प्रधानाचार्य पद पर समायोजन हेतु प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक
21.12.2005 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.09.2005 प्रतिहरताक्षरित कर अपनी संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ
इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त संस्था को वर्ष 2005-06 में अनुदान सूची में लिये जाने के फलस्वरूप शारान द्वारा
संस्था में शिक्षकों व कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं। उपरोक्त क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या
अर्थ(मा0)-249599-603/एक-56/2005-06 दिनांक 31.12.2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में व
प्रश्नगत प्रकरण पर आपकी संस्तुति के आधार पर श्री घनश्याम गुप्ता के प्रधानाचार्य पद पर समायोजन
सम्बन्धी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.12.2005 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.09.2005 को मान्य किया जाता
है।

उपरोक्त के संदर्भ में प्रबन्ध तंत्र या किसी भी अधिकारी/व्यक्ति द्वारा कोई तथ्य भविष्य में
छुपाये गये पाये जाने पर अथवा असत्य सिद्ध होने या विभागीय आदेश अन्यथा होने की दशा में यह
समायोजन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय,

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढवाल मण्डल, पौड़ी।

पत्र सं0/मा0/ /2005-06/ दिनांक उक्तान्वित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य नेशनल इण्टर कालेज, खानपुर हरिद्वार।

(१५)
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढवाल/मण्डल, पौड़ी।

子

ገጽ ፩

6. 1. 2018